

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
सिंचाई प्रमंडल, दाउदनगर (औरंगाबाद)
E-mail ID- irrigationdivision.daudnagar@gmail.com

पत्रांक.....

दाउदनगर/दिनांक.....

नीलामी सूचना :- 02/2026-27

मुख्य अभियन्ता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद का पत्रांक 696 दिनांक 06.04.2026 के निदेश बिहार वित्त नियमावली के नियम 143 (i) (ख) के आलोक में सिंचाई प्रमंडल दाउदनगर परिक्षेत्राधीन डिहरा लॉक के पास जल संसाधन विभाग का पुराना अनुपयोगी भवन का निलामी किया जाना है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र०	प्रमण्डलाधीन अनुपयोगी भवन का नाम एवं संख्या	नीलामी की न्यूनतम बोली (रूपये में)	सुरक्षित जमा राशि (रूपये में)	नीलामी की तिथि
1	2	3	4	5
1	डिहरा लॉक के पास जल संसाधन विभाग का पुराना अनुपयोगी भवन का निलामी	49863.00	12500.00	04.05.2026

नीलामी शर्त:-

1. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 18.04.2026 से दिनांक 04.05.2026 तक कार्यालय अवधि में (रविवार एवं अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित अनुपयोगी भवनो की सूची देख सकते हैं।
2. सभी पुराना अनुपयोगी भवन का निलामी जहाँ है, जो भी है, के आधार पर नीलामी सम्पन्न होगी।
3. नीलामी कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर के कार्यालय कक्ष में खुली डाक से दिनांक 04.05.2026 के अपराह्न 3:30 बजे की जायेगी।
4. इच्छुक फर्म/आवेदक दिनांक 04.05.2026 के अपराह्न 3:00 बजे तक अपने आवेदन के साथ अग्रधन के रूप में रूपये 12500.00 (बारह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियन्ता सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर के नाम से देय हो, को जमा करना होगा। उसके बाद ही उन्हें दिनांक 04.05.2026 की नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाएगा।
5. नीलामी में भाग लेने वाले आवेदक/फर्म को बोली जमानत राशि (अग्रधन) के साथ आधार कार्ड आयकर प्रमाण-पत्र (पैन कार्ड), जी०एस०टी० एवं घोषणा पत्र (Affidavit) के रूप में आवेदन साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी में सफल बोलीकर्ता को बोली मुल्य का 25% (पच्चीस प्रतिशत) राशि सफल होने की घोषणा के साथ ही नगद या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा, जो कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर के पदनाम से देय होगा।
7. नीलामी में सफल बोलीकर्ता को नीलामी की शेष राशि बैंक ड्राफ्ट / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अगले तीन दिनों के अन्दर कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर के कार्यालय में जामा करना होगा। तत्पश्चात् अद्योहसतक्षरी द्वारा विमुक्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। उक्त अवधि के अंतर्गत नीलामी राशि जमा नहीं करने पर अग्रधन एवं व्याना राशि जब्त कर ली जाएगी।
8. नीलामी में सफल बोलीकर्ता को सामग्री की दुलाई अपने खर्च पर करनी होगी। किसी प्रकार का अतिरिक्त दुलाई खर्च देय नहीं होगा।

9. विमुक्ति आदेश होने के पश्चात् 07 (सात) दिनों के अन्दर सामग्री का संबंधित स्थल से उठाव सुनिश्चित करना होगा। प्रतिदिन विलम्ब की स्थिति में प्रतिदिन के हिसाब से रूप्या 1000.00 (एक हजार) रूपये दण्ड किराया देना होगा।
10. नीलामी में सफल बोलीकर्ता को विभागीय नियमानुकूल सभी देय करों को भुगतान कराना होगा।
11. बिना कारण बताए नीलामी रद्द करने की शक्ति अद्योहरताक्षरी की होगी।
12. विलम्ब आमंत्रण अर्थात् निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. नीलामी संबंध में विस्तृत जानकारी एवं अवलोकन हेतु कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
14. नीलामी की प्रक्रिया में जल संसाधन विभाग या इससे संलग्न/अधीनस्थ किसी भी कार्यालय के सरकारी पदाधिकारी/कर्मि भाग नहीं लेंगे।
15. सोची-समझी सजीश के तहत संघ/समूह बनाकर बोली में भाग नहीं लेना है।
16. नीलामी असफल प्रतिभागी को नीलामी के बाद सुरक्षित कुल जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन
ह०/-
कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर।

पत्रांक.....५९८.....

दाउदनगर/दिनांक.....१८.५.२०२६.....

प्रतिलिपि:- सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमण्डल, दाउदनगर
18.04.26
18.04.26